न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–32/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. राधेश्याम पुत्र प्रहलाद राम जाति ब्राहमण
2. घनश्याम पुत्र प्रहलाद राम जाति ब्राहमण
3. कैलाश पुत्र प्रहलाद राम जाति ब्राहमण
4. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राहमण निवासीयान ग्राम मंगलेशपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज0 पुजारियान माफी मन्दिर श्री सत्यनारायण जी महाराज निजामनगर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0

..... अपीलांटस

बनाम

1. बिजेन्द्र सिंह जाखड पुत्र नानूराम जाति जाट
2. सेठसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट
3. कमलसिंह पुत्र नाथूराम भादवा जाति जाट
4. विजयसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति जाट
5. शिवचरण पुत्र मंगलराम जाति जाट
6. बनेसिंह जाखड पुत्र माल्याराम जाति जाट
7. ब्रजबिहारी पुत्र बद्रीप्रसाद जाति जाट
8. महेन्द्र सिंह पुत्र दीपचन्द जाति जाट
9. सुरेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जाट
10. मोहरसिंह पुत्र हरदेवसिंह जाति जाट
11. भरतसिंह पुत्र गणपतराम
12. सीताराम पुत्र सेडूराम जाति जाट
13. रमेश चन्द्र पुत्र परभाती लाल जाति जाट निवासीयान ग्राम निजामनगर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0

.....असल रेस्पो0

14. वेदप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी ग्राम निजामनगर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0

.....तरतीबी रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–

1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलांट।
2. अभिभाषक रेस्पो0, उपस्थित नही।

::: निर्णय :::

दिनांक :—29.01.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलांटान ने असल रेस्पो0 प्रतिवादीगण के खिलाफ तहत अदालत में इस्तकरारहक व हुक्मइम्तनाई दवामी का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 302रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम निजामनगर में स्थित है जो विवादित आराजी है। हाल राजस्व रिकार्ड में माफी मन्दिर श्री सत्यनारायण जी की माफी की जमीन है जिसके ऐहतिमाम पुजारी प्रहलाद पुत्र बोदन 1/2, ओमप्रकाश, बिद्दूराम पि. बद्री समान भाग 1/2 हिस्सा निवासी मंगलेशपुर शिकमीयान रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा है। सन 1992 के बाद राज्य सरकार के आदेश से पुजारियान की प्रविष्ठि राजस्व अभिलेख से हटा दी गई लेकिन सेवा पूजा एवं आराजी का बतौर माफी मन्दिर उपभोग प्रतिवादीगण व उनके वारिसान प्रहलाद, ओमप्रकाश, बिद्दूराम बदस्तूर करते चले आ रहे हैं। ग्राम पंचायत निजामनगर द्वारा भी यह प्रमाणित किया गया है कि श्री सत्यनारायण जी महाराज मूर्ति मन्दिर ग्राम निजामनगर की सेवा पूजा एवं समस्त कार्य पुजारी प्रहलाद राम पुत्र बोदनराम करते आये हैं। ओमप्रकाश पुत्र बद्रीराम शर्मा व कैलाश चन्द पुत्र प्रहलादराम देवस्थान विभाग से देवाचीन परीक्षा पास किये हुये हैं जो मन्दिर के पुजारी हैं तथा सेवा पूजा एवं समस्त व्यवस्था करते चले आ रहे हैं।ग्राम निजामनगर के कुछ लोगों का गिरोह मन्दिर की सेवा पूजा आदि कार्य में व्यवधान करते हैं और प्रन्यास पंजीयन की आड में विवादित भूमि को छीनने पर आमादा हो रहे हैं।वादीगण द्वारा प्रन्यास पंजीयन को भी चुनौती दी गई और प्रन्यास अधिनियम की धारा 21(1)(2) के तहत प्रतिवादीगण को कोई दर्ज हासिल नही है। संवत 2021 में माफी मन्दिर श्री सत्यनारायण जी महाराज ऐहतिमाम पुजारी चिरंजीलाल पुत्र गणपतराम प्रहलाद व बद्री पुत्र बोदनराम का नाम दर्ज है जो वादीगण एक लगायत तीन के पिता व दादा थे।राज्य सरकार ने आज तक वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल नही किया है और प्रतिवादीगण बिना वैधानिक प्रकिया के आराजी को वादीगण से छीनने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त आराजी माफी मन्दिर श्री मूर्ति सत्यनारायण जी महाराज द्वारा वादीगण सेवायत पुजारी प्रबन्धक कृषि भूमि के धारक एवं काश्तकार हैं। जिस दावे का तहत अदालत में निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2017 के जर्ये निस्तारण करते हुये वाद वादी अपीलांटान पर खारिज कर दिया। जिस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि वादी अपीलांटान ने वाद मन्दिर श्री सत्यनारायण जी महाराज निजामनगर के पुजारियान की हैसियत से प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक प्लीडिंग्स तनकीयात कायम नही

की है। विवादित आराजी खसरा नंबर 302 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम निजामनगर मंदिर श्री सत्यनारायण जी महाराज की माफी की होना अधिनस्थ न्यायालय ने माना है तथा वादी अपीलांटान को उक्त मंदिर का पुजारी सेवक प्रबन्धक माना है तो ऐसी स्थिति में विवादित आराजी पर काश्त वादीगण द्वारा मंदिर की ओर से होती चली आ रही है तथा प्रतिवादी रेस्पो0 को विवादित आराजी के प्रबन्ध काश्त करने में मजाहमत पैदा करने का कोई अधिकार कानूनन किसी प्रकार का नही है ऐसी स्थिति में वाद डिक्री होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 01 का निर्णय बहक वादीगण किया है तो तनकी नंबर 02 भी वादीगण के पक्ष में निर्णीत होने योग्य थी। यह कि तनकी नंबर 03 वादीगण के विरूद्ध गलत निर्णीत की है जब वादीगण मंदिर श्री सत्यनारायण जी महाराज के पुजारी प्रबन्धक काफी सालों से चले आ रहे हैं तो मंदिर की विवादित आराजी की देखभाल प्रबंधक वादीगण द्वारा किया जाता रहा है जो मंदिर के पुजारियान की हैसियत से कब्जे में की है तथा प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में काश्त करने में रूकावट पैदा करने का कोई अधिकार कानूनन किसी भी प्रकार का नही है तो तनकी नंबर 03 का निर्णय वादी अपीलांटान के पक्ष में किया जाना चाहिये था। तनकी नंबर 04 का निर्णय प्रतिवादी रेस्पो0 के विरूद्ध निर्णीत की गई है तो तनकी नंबर 03 का निर्णय वादीगण अपीलांटान के पक्ष में कानूनन किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद विधि विरूद्ध तरीके से डिक्री किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ अपास्त फरमाया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2017 का अवलोकन किया।

तहत अदालत में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में मुख्य अनुतोष धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का है। प्रदर्श–1 नामान्तकरण पंजिका में प्रविष्टि दिनांक 17.12.68 में प्रहलाद, बदरी पि. बोदन ब्राहमण पुजारी अंकित है। प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2021 ग्राम निजामनगर तहसील लक्ष्मणगढ़ खतौनी संख्या 158 खसरा संख्या 302 माफी मन्दिर श्री सत्यनारायण जी महाराज व अहतमाम पुजारी चिरंजीलाल पुत्र गणपतराम, प्रहलाद, बदरी पि. बोदन ब्राहमण शिकमी साल 05 अंकित है। प्रदर्श–6 जमाबंदी ग्राम निजामनगर में माफी मंदिर श्री सत्यनारायण जी महाराज खातेदार अहतमाम पुजारी प्रहलाद पुत्र बोदन 1/2 हिस्सा, ओमप्रकाश, बिध्दूराम पि. बदरी समभाग 1/2 हि. कौम ब्राहमण सा. मंगलेशपुर शिकमीयान दर्ज अंकित है। प्रदर्श–8 वसीयतनामा। प्रदर्श–10 वार्षिकी के भुगतान की आज्ञा दिनांक 24.02.1964 में डिप्टी कलेक्टर जागीर, अलवर के न्यायालय द्वारा भी पुजारी चिरंजीलाल पुत्र गणपत जाति ब्राहमण के नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त वादी के वादपत्र की चाही दादरसी भी तहत अदालत द्वारा तनकी संख्या 01 भी बहक वादीगण तय की गई है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात के खातेदार मंदिर श्री सत्यनारायण जी महाराज ही हैं, परन्तु उनकी ओर से भूमि का प्रबंधन वादीगण द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि तहत अदालत के तनकी संख्या 01 के विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण का पुजारी होने का तथ्य साबित होता है। प्रतिवादीगण द्वारा इसका खण्ड़न का

प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के कब्जे को विधि के प्रतिकूल नही हटाया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट काबिल स्वीकार के है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2017 खारिज किया जाता है।तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर